भारत बनाम भारत की गरीबी

डॉ. नरेन्द्र कुमार

इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास और प्रगति के लिए आजादी के पश्चात योजनाबद्ध प्रयास जारी है क्योंकि ब्रिटिश शासन के जमाने में गरीबी ने जन जीवन को अस्त–व्यस्त कर रखा था और इसलिए राष्ट्रीय आन्दोलन का एजेण्डा न केवल राजनीतिक आजादी हांसिल करने तक सीमित था बल्कि इसमें आर्थिक उत्थान गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के विषय भी शामिल किए गए थे।

कांग्रेस का सन् 1937 का अधिवेशन बारदोली के हरिपुरा गांव में 19 फरवरी से सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। सुभाष बाबू कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे थे। उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कर दिया था कि विश्व युद्ध का खतरा करीब है।

उन्होंने 1935 के एक्ट की निन्दा की क्योंकि इस एक्ट मे संघ–शासन में सरकार ने चुनी हुई सरकार बनाने की व्यवस्था न की थी। प्रान्तों में चुनाव होकर सरकारें काम कर रही थी। प्रान्तीय सरकारों के बनने के बाद दबाब डालने पर देश में क्रान्तिकारी कैदी छोड़ दिये गये थे।

अब सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से राष्ट्रीय पैमाने पर 'नेशनल प्लानिंग कमेटी' कायम की थी। उन्होंने इस कमेटी का अध्यक्ष पंडित जवाहर लाल नेहरू को बनाया। इस कमेटी का उद्देश्य विकास करना था। इस माध्यम से आर्थिक प्रगति एवं गरीबी मिटाने का कार्यक्रम तैयार करना था। 1

कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार, शिक्षा एवं लोक–कल्याण के विषयों पर इस प्लानिंग कमेटी की उप समितियां बनाई गई। कमेटी में सभी प्रान्तीय सरकारे ही नहीं देशी रियासतें भी शामिल हुई। किसानों का कर्ज मिटाना, श्रमिकों का रोजगार बढाना, लगान कम करना आदि विषयों पर जोर डाला गया। उप समितियों ने बड़े महत्वपूर्ण काम किए।उप समितियों ने कुछ विषयों में मानदण्ड बनाने का कार्य भी किया। इसमें (1) हर चौदह वर्ष तक के बालक–बालिका को अनिवार्य शिक्षा, (2) देश के हर नागरिक को नित्य 2400 किलौरी शक्ति का आहार, (3) हर परिवार को हवा, रोशनी व पानी सहित आवास, (4) हर नागरिक को वर्ष में 24 गज कपड़ा मिले, यह मानक सुझाया गया, लेकिन विश्व युद्ध छिड़ जाने पर ब्रिटिश शासन ने बिना प्रान्तीय सरकारों से सलाह–मशविरा किए ही देश को विश्व युद्ध का भागीदार बना दिया। इस पर कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने इस्तीफे दे दिये। ऐसे में प्लानिंग कमेटी का कार्यक्रम बन्द हो गया। लेकिन कमेटी ने जो मानक स्थापित किए उनसे यह स्पष्ट हो गया कि भावी विकास के मानक कैसे होने चाहिए–आर्थिक विकास का प्रारूप कैसा हो। क्योंकि रोटी, कपड़ा व मकान की समस्या और साथ में अशिक्षा, महामारियां, कुपोषण के सवाल हल करना परमावश्यक हो चुका था। 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय देश के पैमाने पर गरीबी मिटाने का सवाल सर्वोपरि बना हुआ था। यह ध्यान देने की बात थी कि जिस भारत की मध्यकाल में स्थिति विश्व के विकसित देश की रही थी, उसे ब्रिटिश वर्चस्व के आरम्भ होने पर शोषण ने कंगाली की स्थिति में ला रखा और दर्दनाक कहानी यह बनी कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश सबसे बडा आयातक देश में तब्दील हो गया। इसके लम्बे कथानक के बीच ब्रिटेन में ओद्योगिक क्रान्ति हुई, यह क्रान्ति भारत के शोषण के बल पर हुई और इधर भारत का उद्योग धंधा व विकास सब चौपट हुआ।

संक्षेप में कहें तो यह तथ्य उभरता है कि ब्रिटिश शासन के आरम्भ में जहां औसत में हर भारतीय नागरिक को आधा सेर अनाज प्रतिदिन के हिसाब से आसानी से उपलब्ध था, वही गरीबी के प्रश्न पर ब्रिटिश राज के चलते सन् 1876 में दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'पावर्टी इन इंडिया'

में बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का औसत मात्र बीस रूपये रह गया है 2 और इसका कारण ब्रिटिश द्वारा भारत का शोषण है। जाहिर है, कि ब्रिटिश राज में कुपोषण की समस्या को हल करने की नीयत सरकार की न थी और सरकारी नीतियों के चलते ही कुपोषण का समस्या उभर कर आई थी। सुभाष बाबू ने जो प्लानिंग कमेटी सन् 1937 में बैठाई थी, उसने इसीलिए इस विषय की गहराई में जाकर कुपोषण के मद्देनजर निर्धारित किया था कि 2400 कैलोरी शक्ति का भोजन हर व्यक्ति को कम से कम मिलना ही चाहिए। 3

प्रथम पंचवर्षीय योजना इसके परिणामस्वरूप बड़ी सफल हुई। कह सकते है कि उम्मीद से अधिक सफलता प्राप्त हुई। ध्यान रखना चाहिए कि सन् 1901 से 1946 तक ब्रिटिश राज में भारत की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत से ऊपर कभी न आई थी। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना (1951–52 से 1956–57) काल में वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत बढोतरी पर पहूँची। इसके परिणामस्वरूप कृषि उपज 0.3 प्रतिशत से बढकर 3.00 प्रतिशत हुई। औद्योगिक उत्पादन 6.0 प्रतिशत बढा। राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत से अधिक बढ गई और प्रति व्यक्ति आय में 1.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का प्रचार–प्रसार जोर शोर के साथ हुआ। नेहरू के नारे ने अपना रंग दिखाया और इसके पश्चात देश के श्रमिक आन्दोलन ने वेतन बढोतरी की अपनी मांग पर जोर दिया। उनका कहना था कि योजनाकाल में उन्होंने कड़ा परिश्रम किया, लेकिन इस बीच कोई भी लाभ उन तक

प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, एस.एस.जी.पारीक पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर

नहीं पहुँच पाया है और उनका जीवन स्तर ऊपर उठने के स्थान पर नीचे गिरा है। इस बात की पडताल की गई कि विकास का लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुँचा या नहीं पहुँचा।

यह सामने आया कि विकास का लाभ पूँजीपति वर्ग को हुआ। उद्योगपतियों की अमीरी काफी बढी है और गरीब वर्ग की गरीबी बढ़ी है। दरअसल योजना में विकास के साधन काफी बढ़े लेकिन रोजगार के साधन इस मुकाबले न बढ़े इसलिए वंचना व गरीबी निरन्तरता से जारी रही है और कुपोषण में सुधार नहीं आ पाया है। कालान्तर में विकास का अधिकतम लाभ पूँजीपतियों को मिला, यह बात महाबोलनिस आयोग ने भी कही और योजना आयोग ने भी माना कि रोजगार बढाने पर इसलिए ध्यान न गया क्योंकि समझा गया कि विकास के चरण बढने से स्वतः गरीबी कम होती जायेगी। राष्ट्रीय आय बढोतरी के सिलसिले में नेहरू–लोहिया विवाद भी संसद में सामने आया।सन् 1957 में लेबर कॉन्फ्रेस के कार्यकारी दल ने सिफारिश की (1) परिवार चार व्यस्क उपभोक्ताओं का माना जायेगा, (2) बच्चों की पढाई और परिवार की चिकित्सा सरकारी व्यवस्था है, (3) आवास सुविधा प्रति परिवार दस रूपये और सरकार आवास दें तो दस प्रतिशत वेतन से काटे। आवास सुविधा का प्रश्न महज नगरों में, देहात छोटे नगरों में नहीं होगा, (4) सरकार या ओद्योग फिलहाल फेयरवेज या लिविंग वेज नहीं दे सकती है इसलिए न्यूनतम वेतन को वेतन आधार बनाया जायेगा और वह न्यूनतम वेतन प्रति परिवार उस समय के मूल्यों पर आधारित देहात में 80 रूपये तथा नगरों में सौ रूपये मासिक होगा, (5) यह न्यूनतम वेतन परिवार के प्रति उपभोक्ता को 2400 कैलोरी शक्ति प्रतिदिन सन्तुलित आहार के मानक पर निर्धारित किया गया है। यहां यह ध्यान रखने का विषय है कि इसके पहले कोई न्यूनतम वेतन की अवधारणा नहीं थी। अब यह अवधारणा 2400 कैलोरी शक्ति के संतुलित आहार प्रतिदिन के मानक पर स्थापित हुआ। अर्थात् कम से कम वेतन का यानि न्यूनतम स्तर यह होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप इससे नीचे के स्तर को तभी से सरकार ने 'गरीबी रेखा से नीचे' की स्थिति मान ली। यह आज भी प्रचलित है।

यहां देखना यह भी होगा कि न्यूनतम वेतन निर्धारित करते समय 2400 कैलोरी शक्ति संतुलित आहार प्रति व्यक्ति के लिए मानक मान लिया गया है। इसमें भी मेहनतकश आदमी के साथ निर्धारण कर्ताओं ने बेइंसाफी ही की है और वह किस प्रकार से की गई है, इसका विवरण भी समझ लेना चाहिए।

न्यूट्रेशन एडवाइजरी कमेटी (हैदराबाद) ने व्यक्ति के स्तर और आयु के हिसाब से यह तय किया है कि किसको कितने कैलारी शक्ति का संतुलित आहार होना चाहिए। इस कमेटी के मानक स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि तय किए हुए और यह सरकारी मान्यता के तहत कार्यरत संस्था है।

कमेटी ने भारत के पैमाने पर पुरूष की तीन श्रेणियां मानी है (1) सामान्य कार्य, (2) मध्यम कार्य और (3) भारी कार्य और इसके लिए क्रमशः 2400, 2800 तथा 3000 कैलोरी शक्ति निर्धारित क गई है। इसके अलावा बढते हुए बच्चों के मानक भी विभिन्न है।

आयु		कैलोरी	आयु	कैलोरी
4 – 6 वर्ष	1500	13 – 15 वर्ष	2500	
7 – 9 वर्ष	1800	16 – 18 वर्ष	3000	
10 – 12 वर्ष	2100	0 से 1 वर्ष	1200	
महिला वर्ग में अतिरिक्त कैलोरी –				
गर्भवती को		300 अतिरिक्त		
स्तनपान कराने वाली को	700 अतिरिक्त			

(स्त्रोतः राष्ट्रीय इन्स्टीटयूट ऑफ न्यूट्रेशन हैदराबाद – 1958)

यथार्थ में स्थिति कुल मिलाकर यह बनी हुई है कि देश के विकास की दिशा मोड़ इस प्रकार हुआ है, जिसमें एक ओर अमीर वर्ग के लोग तेजी से अधिक अमीर होने की स्थिति में आये है वहीं विकास प्रक्रिया में राज्यों में भी समता नहीं है। कुछ राज्य विकास में काफी आगे बढ गए और कुछ विशेष तेजी न पकड़ पाये। तीसरा पक्ष यह सामने आया कि नगरों की विकास प्रक्रिया तेजी से उभर कर आई वही ग्रामीण अंचल पिछड़ रहा है अर्थात् उसे वह समानता की तरजीह न मिली जैसी कि मिलनी चाहिए थी। चौथा पक्ष यह सामने है कि जहां देश ने काफी प्रगति की वहीं आज भी करीब एक तिहाई देश की जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने पर मजबूर है इसमें ग्रामीण अंचल में काफी अधिक और नगरीय अंचल में भी गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन संघर्ष कर रहे है।इस तरह आर्थिक, सामाजिक दरिद्रता में गरीबी रेखा से नीचे के स्तर की जनसंख्या घटिया जीवन स्तर जब गुजारने पर मजबूर हो रही हो, तब यह कैसा विकास और कैसी प्रगति कही जाये। यह विचारणीय विषय है।

उपरोक्त समस्याओं में सर्वप्रथम रोजगार पैदा करने की समस्या थी। वह आज भी आधी अधूरी स्थिति में है। वही पेयजल समस्या पर सबसे पहले कहा गया था कि समस्त देश को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। कहना न होगा कि सरकार के किन्तु परन्तु चलत रहे, लेकिन समूचे देश के स्तर पर आज साठ वर्ष के पश्चात भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है और वर्तमान में भी काफी संख्या में ऐसे गांव देश में है जो सड़क से जुड़े नहीं है और जहां बिजली नहीं पहुँची है। रोगोपचार की व्यवस्था आज भी नाम मात्र की है।

मनुष्य समाज के इतिहास में जब कोई उत्पादन की व्यवस्था न थी एवं मनुष्य जीवन में कोई व्यवस्था न थी तब बेरोजगारी भी न थी। इसका तात्पर्य है कि बेरोजगारी का मूल कारण व्यवस्था है न कि व्यक्ति है। बेरोजगारी का निर्माण व्यवस्था ही करती है और व्यक्ति उसका शिकार होता है।

आप मजे की बात यह देखिये कि भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। वह परमाणु बम बना चुका और उपग्रह छोडता है, सुपर कम्प्युटर बनाने में माहिर है। गर्ज यह है कि कृषि विज्ञान, आयुर्विज्ञान में भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लोग भूख से तडपते व कुपोषण से मरते है। गरीबी रेखा से नीचे पड़े कराह रहे है। यानि करोडपतियों की संख्या लगातार बढ रही है, फिर भी गरीबी है, बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी का वातावरण हटे, तो भूख, कुपोषण, गरीबी, अभाव, बिमारी, अशिक्षा, गहरा दुख अपने आप मिटने लग जायेगा। सोचिए कि अगर करोड़ो बेरोजगारों को काम मिलेगा, तो देश का उत्पादन भी कितना बढ़ेगा और रोजगार पाये हुए लोगों समेत देश की मांग भी बढ़ेगी, जो फिर उत्पादन बढाने की जरूरत पैदा करेगी और अर्थ व्यवस्था और भी अधिक सुधरेगी और यह सब असंभव नहीं है, लेकिन व्यवस्था की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

आयरलैण्ड के अर्थशास्त्री जे. हिक्स ने भारत विषयक अपने अध्ययन–भारतीय गरीबी निवारण और तुलनात्मक पहूँच में गरीबी सम्बन्धी मुख्य दो बातों पर जोर दिया है (1) ग्रामीण गरीबी (2) नगरीय गरीबी और कहते है कि भारत की गरीबी अन्य समान समस्याओं वाले देशों से भिन्न नहीं है। इस सिलसिले में वे मानते है कि ग्रामीण अंचल की जनसंख्या अधिक्य एवं वहां पर रोजगार की कमी में ही लोग नगरों में आकर टिकते है, तब नगरीय समस्याऐं भी बढाते है और इस विषय को भी गौंण नहीं समझा जा सकता है। वहीं जहां तक हो वे वापस गांव पहुँचना नहीं चाहते।

ग्रामीण अंचल में भूमि सुधार के विषय को आज भी सही परिपेक्ष्य में नहीं सुलझाया है। यह तभी संभव हो सकता है, जब सही अर्थ में इस काम को करने की इच्छा शक्ति हो। ग्रामीण अंचल में अन्य रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने के सिलसिले में जो योजनाऐं बने, उनमे वर्ष में कुछ दिनों की नहीं पूरे वर्ष की रोजगार गारन्टी के बिना काम न चलेगा क्योंकि शेष्ज्ञ दिनों में वे लोग क्या योजनाकारों के घर जाकर रोटी खायेंगे।

राज्यों में मसलन गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडू को भारी तरजीह दी तो राजस्थान की भारी अनदेखी की गई। उधर कई प्रदेशों में केन्द्रीय व्यवस्था के तहत परियोजना चलाई गई तो इधर राजस्थान नहर (अब इन्दिरा गांधी नहर) परियोजना की व्यवस्था राज्य सरकार को थमाते हुए यह न देखा कि यह सबसे अधिक पिछड़ा और सीमा से लगा हुआ इलाका है, जिसका विकास प्राथमिकता के आधार पर करने के लिये परियोजना को केन्द्र अपने हाथ में लें और केन्द्र के हाथ में न लेने के कारण इस परियोजना में कितनी कटौती, विलम्ब और अधिक व्यय की हालत बनी है और अभी तक भी लक्ष्य पूरा न हुआ है वही नतीजे में शेखावाटी, नागौर व बाडमेर जनपद आज भी नहर से वंचित स्थल है। योजनाकारों ने यह विचार न किया कि राजस्थान के समूचे मरूस्थल का यदि कल्याण होता है तो स्वयं समस्या हल करने का जरिया उपलब्ध होता जाता है। देश की गरीबी के विभिन्न पहलू है। हमारे यहां जनसंख्या बढोतरी की समस्या भी कोई कम बात नहीं है। भारत में अशिक्षा, अंधविश्वास एवं कुरीतियों में फंसे लोग संतान वृद्धि को प्रोत्साहित करते है। पिछले दिनों ही एक हिन्दू नेता घोषणा करके सलाह दे चुके कि हिन्दुओं को बच्चे अधिक पैदा करने चाहिए अन्यथा यह देश मुस्लिम बाहुल्य हो जायेगा, जबकि जनसंख्या शास्त्रियों का अनुमान है कि ऐसा कभी न होगा। आर्थिक, सामाजिक दरिद्रता में अधिकांश लोगों को मनोरंजन के साधन भी कम होते है इससे जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण अंचल में परिवार नियोजन की आज भी अत्यधिक जरूरत है। गरीबी का माप करने का तरीका, गरीबी उन्मूलन की समस्या का विशेष हिस्सा है। इसमें प्रति परिवार न्यूनतम आवश्यकताओं और कैलोरी शक्ति की आवश्यकता, दोनों ही बातों का सही ढंग से समावेश होना चाहिए क्योंकि ये दोनों स्थितियां एक दूसरे की पूरक है। न्यूनतम आवश्यकता में भोजन, वस्त्र और आवास आदि शामिल है। इनकी अधिकारिता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि देश की अर्थ व्यवस्था, विकास और भावी प्रगति के मार्ग में देश की गरीबी का हस्तक्षेप बाधा उपस्थित करता है इसलिए लाजिमी है कि गरीबी उन्मूलन के विषय को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाये और उसे व्यवहारिक रूप में हल करने की इच्छा शक्ति अपनाकर कार्य किया जाये।

अंत में यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि गरीबी उन्मूलन ही नहीं अपितु विकास एवं प्रगति के हर काम में जहां इच्छा शक्ति की अनिवार्यता का विषय महत्वपूर्ण है वही पर भ्रष्टाचार रहित कार्य विधि की आवश्यकता है। कहना न होगा कि भ्रष्टाचार देश की कार्यविधि से ऐसा जुड गया है जिसमें क्रियान्वन की हर प्रक्रिया दूर्षित होकर मुख्य मकसद ही कमजोर हो जाता है। इस स्थिति को सिद्ध करने में स्वर्गीय राजीव गांधी का उनके प्रधानमंत्री काल का कथन – कि सरकार द्वारा लगाए एक रूपये में से महज पन्द्रह पैसे ही विकास कार्य में लग पाते है। (यानि शेष भ्रष्टाचार के हवाले जाते है)। इसलिए भ्रष्टाचार उन्मूलन का सूत्र भी गरीबी उन्मूलन के विषय के साथ जुड़ गया है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. गुप्त मन्मथनाथ कांग्रेस के सौ वर्ष राजपाल एंड संस दिल्ली 1985 पृष्ठ 135–136
2. नौरोजी दादाभाई पावर्टी इन इंडिया एडीलाईन प्रेस, लंदन
3. पापुलेशन पावर्टी एडं होप निबंध मूलगांवकर (मेजरिंग पावर्टी इरिडेशन) उप्पल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली पृष्ठ–28
4. डा. ए.एन.अग्रवाल भारतीय अर्थ व्यवस्था (विकास व आयोजना) पृष्ठ–294
5. गौड़ के.डी. एक्सटेन्ट एंड मेजरमेन्ट ऑफ पावर्टी इन इंडिया, मित्तल पब्लिकेशन दिल्ली पृष्ठ 2–4